18 मई, 2020 से आपातकाल के दौरान लागू प्रतिबंधों में कई बदलाव वैध होंगे

विशेषतः

- ✓ सार्वजनिक परिवहन की गतिविधि पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन द्वारा आवागमन की अनुमति केवल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी मास्क और दस्ताने के साथ दी जाएगी।
- ✓ जिन स्थानों पर व्यापार होता है, उन्हें फिर से खोल दिया जाएगा।
- ✓ सार्वजनिक खानपान के क्षेत्र में केवल खुले क्षेत्र में गतिविधियों को अंजाम देने पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।
- ✓ जिम काम पर प्रतिबंध भी हटा दिया जाएगा।
- ✓ खुले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को फिर से खोला जाएगा।
- ✓ सांस्कृतिक रचनात्मक समूहों की गतिविधियों पर प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा, लेकिन केवल छोटे समूहों में प्रयोगों के लिए।
- ✓ स्कूलपूर्व शिक्षा की अनुमति होगी, अर्थात बाल विहार संचालित करने में सक्षम होंगे।

नियम

- ✓ फिर से खुलने वाले सभी क्षेत्रों के लिए स्पष्ट सुरक्षा नियम स्थापित किए जाएँगे, जिनके पालन करने से ही गतिविधि की कार्यान्विति संभव है।
- ✓ सार्वजनिक खुले स्थानों पर लोगों के पास सुरक्षात्मक मास्क होना अनिवार्य होगा ।
- ✓ सार्वजनिक आयोजनों में प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम 5 लोग निर्धारित की जाएगी।

यदि नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, तो कानून द्वारा निर्धारित जिम्मेदारी के उपाय लागू किए जाएँगे ।

विवरण: https://www.gov.am/files/docs/4049.pdf

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
EUROPEAN UNION FOR ARMENIA

Caritas Lebanon

Հայկական Կարիտաս
Armenian Caritas

Caritas
Austria

दस्तावेज़ का अनुवाद यूरोपीय संघ के समर्थन द्वारा RPR कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था। इस दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु के लिए रचनाकार जिम्मेदार हैं।